भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4161
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छात्रों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और सीटों में वृद्धि

4161. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विशेषकर राजस्थान जैसे अल्पसेवित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं और छात्रों के लिए चिकित्सा सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर राजस्थान में कुल कितने जिला अस्पताल संचालित हो रहे है:
(ग) देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में जिला अस्पतालों, विशेषकर इन अस्पतालों में प्रदान की गई अवसंरचना, स्टाफ और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की स्थिति क्या है;
(घ) देश में आकांक्षी जिलों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा जिलावार, विशेष रूप से राजस्थान में बारां जिले में स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान करने और देश में सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की गई/पहल किए गए हैं; और
(ङ) वित्तपोषण और क्षमता निर्माण सहित सरकार की चिकित्सा योजनाएं राजस्थान के जिला अस्पतालों और देश के आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्पसेवित और कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

देश भर में राजस्थान सहित, वर्तमान में कार्यरत जिला अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (अवसंरचना और मानव संसाधन) 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, देश में 157 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें 40 मेडिकल कॉलेज आकांक्षी जिलों में हैं, 157 मेडिकल कॉलेजों में से 23 राजस्थान राज्य में अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से राज्य में लगभग 2100 एमबीबीएस सीटों को जोड़कर आज की तारीख तक 21 मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।

एमबीबीएस (यूजी) की संख्या वृद्धि के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करने के लिए सीएसएस के तहत, राजस्थान राज्य में 11 मेडिकल कॉलेजों में 750 एमबीबीएस सीटों सहित 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, पीजी सीटों को बढ़ाने और नए पीजी विषयों को शुरू करने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करने के लिए सीएसएस के तहत, राजस्थान राज्य में 1467 पीजी सीटों सहित दो चरणों में कुल 8058 पीजी सीटों को अनुमोदित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में एनएचएम के तहत की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आशाकर्मी, चौबीसो घंटे सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधा केंद्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, निःशुल्क निदान सेवा पहल और निःशुल्क औषधि सेवा पहल, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न कार्यकलाप, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचालन किया है।

दिनांक 18.12.2024 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान के बारां जिले में 254 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कार्यशील हैं।

इन योजनाओं के प्रभाव से राजस्थान की मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 199 (एसआरएस 2014-16) से घटकर 113 (एसआरएस 2018-20), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 46 (एसआरएस 2014-16) से घटकर 32 (एसआरएस 2018-20) और कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.4 (एनएफएचएस -4) से घटकर 2.0 (एनएफएचएस -5) हो गई है।

******